न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा,जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेश कुमार ,आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 172 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023 / 473

प्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 01 से 05)	बनाम	अप्रार्थी (वादी)
1.पृथ्वीराज पुत्र भरतकुमार कौम अग्रवाल निवासी सुखसागर कॉलोनी बालोतरा		तगाराम पुत्र उकाराम कौम घांची निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
2.पुष्पादेवी पत्नि भरतकुमार कौम अग्रवाल निवासी सुखसागर कॉलोनी बालोतरा		
3.भरतकुमार पुत्र रामगोपाल,कौम अग्रवाल निवासी सुखसागर कॉलोनी बालोतरा		
4.सुशीला पत्नि प्रकाशजी कौम अग्रवाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा		
5.प्रकाश अर्जुन एच यू एफ के कर्ता प्रकाश पुत्र भरतकुमारजी कौम अग्रवाल निवासी सुखसागर कॉलोनी बालोतरा		

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

1.श्री प्रियतम आजाद,अधिवक्ता प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1 ता 5)

2.श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी (वादी)

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.14 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 26.2[illegible]

1.अप्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 01 से 5) पृथ्वीराज पुत्र भरतकुमार,पुष्पादेवी पत्नि भरतकुमार,भरतकुमार पुत्र रामगोपाल,सुशीला पत्नि प्रकाशजी व प्रकाश अर्जुन एच यू एफ के कर्ता प्रकाश पुत्र भरतकुमारजी कौम अग्रवाल निवासी सुखसागर कॉलोनी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है,कि वादी द्वारा हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन भूमि की

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदारी हक घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें की इस्तदुआ चाही गई है,जबकि हस्तगत प्रकरण संस्थितीकरण से पूर्व ही धारा 90 ए के तहत कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु भू–उपयोग परिवर्तित होकर आबादी भूमि नगर परिषद बालोतरा के नाम इन्द्राज हो चुकी थी। इस कारण हस्तगत प्रकरण में वर्णित भूमि की प्रकृति कृषि भूमि नहीं होने के कारण न्यायालय हाजा में वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद–पत्र वादी विधि द्वारा वर्जित होने से रिजेक्ट फरमाया जाने की कृपा करावें।

2.वकील अप्रार्थी (वादी) ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है,जो वक्त सेन्टलमेन्ट मुतवफी चौथा पुत्र भूता कौम घांची का कब्जा काश्त था। चौथा वादी के दादा लगते है। वक्त सेन्टलमेन्ट वादग्रस्त भूमि पर वादी के दादा चौथा,उसके बाद वादी के पिता उकाराम एवं बाद में वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वक्त सेन्टलमेंट के समय वादग्रस्त भूमि पर वादी के दादा चौथा का कब्जा काश्त होने के उपरांत भी सहवन से भूमि राज.सरकार के खाते में दर्ज हुई,जबकि वादी परिवार का कब्जा काश्त था। आज भी मौके पर वादी का अपने हक हिस्सेनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमियों को उकाराम को सम्पूर्ण बेचान का कोई हक हकूक नहीं होने के उपरांत भी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को बेचान कर दी गई,जो वादी के हक हिस्से तक बेचान शून्य एवं निष्प्रभावी है,क्योंकि बेचानपत्र में वादी के तीन भाईयो प्रतिवादी संख्या 6 से 8 द्वारा साख डाली गई और वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी मानतें हुए अपना अपना प्रतिफल प्राप्त किया है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है और पुश्तैनी भूमि वादी का हक हिस्सा निहित है। जहां तक वादग्रस्त भूमि को आबादी में परिवर्तित करवानें का प्रश्न है,जो वादी के हक हिस्से तक बेचान अपने आप में ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने के कारण वादी पर लागू नही होता हैं,क्योंकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने के आधार पर वादी अपनी खातेदारी अधिकारों की घोषणा माननीय न्यायालय से ही राहत प्राप्त कर सकता है। इस कारण प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई है,ऐसी स्थिति में वादी के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

3.तत्पश्चात प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की दिनांक 06.2.2024 को बहस सुनी गई। उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस विभिन्न न्यायिक द्रष्टान्त प्रस्तुत किये गये,जो शामिल पत्रावली है। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण (प्रतिवादी) ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 538/332 एवं खसरा संख्या 1174/332 ग्राम खेड़ के सम्पूर्ण क्षैत्रफल भूमि को वाद संस्थितिकरण से पूर्व ही सक्षम ऑथरिटी प्राधिकारी अधिकारी,नगर परिषद बालोतरा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर दिनांक 11.09.2023 को ही राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के अधीन क[illegible] और कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु भू–उपयोग परिवर्तित कर आबा[illegible] गई हैं। इस प्रकार विवादित भूमि की दावा प्रस्तुतीकरण से पूर्व ही राजस्व कृषि भूमि अकृषि प्रयोजन हेतु किस्म परिवर्तित होकर नगर परिषद बालोतरा में निहित हो चुकी थी तथा रा[illegible] रेकर्ड़ में भी राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निकाय नगर पालिका बालोतरा के नाम दर्ज है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय श्री को वादग्रस्त भूमि के संबध में वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण वादीगण का वाद–पत्र विधि से वर्जित होने के कारण खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.05.14 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

किया जावें। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 05 द्वारा सप्रतिफल अदा करते हुए जरिये पंजीकृत बेचाननामा के जरीए खरीद की गई है। पंजीकृत दस्तावेज अथवा बेचाननामा शून्य एवं निष्प्रभावी नहीं होता हैं,जब तक कि सक्षम सिविल न्यायालय इसे शून्य न्याय निर्णीत नहीं कर दें। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के हक पक्ष में निष्पादित उक्त पंजीकृत दस्तावेज बेचाननामें की विधि मान्यता को इस वाद पत्र के माध्यम से श्री न्यायालय में प्रश्नगत कर चुनौती नहीं दी जा सकती हैं। वादी के अपने समूचें वाद–पत्र में वादी का ऐसा कोई अभिवचन नहीं है कि वाद –पत्र वादी अनुतोष के फलस्वरूप अनुसूची तृतीय में वर्णित किसी मद के अन्तर्गत आता है अर्थात ऐसे बेचाननामें को निष्प्रभावी व शून्य करार दिए जाने को कोई मद अनुसूची तृतीय में प्रावधित नहीं हैं। ऐसे दावे के लिए धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार अपवर्जित करता हैं। इस प्रकार वादीगण का वाद झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है,वादीगण का वाद–पत्र प्रारम्भिक स्टेज पर ही चलने योग्य नहीं हैं,क्योंकि वाद–पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि की किस्म कृषि भूमि नहीं रही हैं। अतः अप्रार्थी (वादी) का वाद–पत्र विधि से वर्जित होने के कारण खारिज फरमाया जावे। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) की ओर से अपनी बहस के समर्थन में निम्मानुसार न्यायिक द्रष्टान्त प्रस्तुत किये,जो शामिल मिसल हैः–

1.2021(2)RRT पृष्ठ 1201

2.2021(1) RRR पृष्ठ 27

3.,2021(1) RRT पृष्ठ 30

4.2023(2) DNJ (REV.) पृष्ठ 1351

5.2023(2)RRT पृष्ठ 992

6.2023(2)RRT पृष्ठ 1291

7.2019(2)आर.आर.टी. पृष्ठ 863

8.2013 (2) आर.आर.टी.पृष्ठ 808

9.2021(1)आर.आर.टी.पृष्ठ 266

10.2018(1)आर.आर.टी. पृष्ठ 265

4.दौराने बहस वकील अप्रार्थी (वादी) ने निवेदन किया,कि खसरा संख्या 332 मौजा खेड़ में स्थित हैं,उक्त खसरा का रकबा काफी लम्बा चौडा हैं तथा उक्त खसरा की भूमि में से ही काफी व्यक्तियों की भू आवंटन का नियमन हुआ हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि में पुराना कब्जा काश्त के अनुसार कब्जेधारीयों को आंवटन किया गया हैं। उक्त भूमि स्व. चौथा पुत्र भूताजी की कब्जा–काश्त की भूमि थी। वक्त सेन्टलमेंट उक्त भूमि पर चौथाजी का कब्जा काश्त था। परन्तु सहवन से [illegible] राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गई। चौथाजी के मृत्यु के बाद अप्रार्थी [illegible] 06 से 8 के पिता उका पुत्र चौथा का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रहा उक्त भूमि चौथाजी [illegible] कब्जा काश्त होने के कारण पैतृक भूमि हैं। इस कारण विवादित भूमि पर अप्रार्थी (वादी) व प्रति[illegible] संख्या 06 से 08 का बराबर हक हिस्सा बनता हैं। प्रतिवादी के पक्ष में वादी के पिता उकाराम ने जो रजिस्ट्रर्ड बेचाननामा में वादी तगाराम के नाम प्रतिवादी यानी तीनों भाईयों की पैतृक भूमि मानते हुए प्रत्येक को अपने हक व हिस्से अनुसार चैक द्वारा अलग अलग प्रतिफल के रूप में राशि प्राप्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.14 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तथा बेचाननामों में प्रतिवादी संख्या 06 से 08 द्वारा साख डाली जाकर प्रतिफल प्राप्त करना स्वीकार किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है, कि विवादित भूमि पुश्तैनी हैं,क्योंकि प्रतिवादी स्वंय ने सप्रतिफल प्राप्त कर स्वीकार किया है कि भूमि पैतृक हैं,लेकिन वादी को उसमें हक हिस्से से महरूम रखा गया। इस कारण अप्रार्थी (वादी) तगाराम द्वारा पैतृक भूमि में से अपना 1/4 हिस्सा प्राप्त करने के लिए खातेदारी घोषणा का दावा पेश किया गया हैं। उक्त कृषि भूमि का खातेदारी घोषणा का दावा सुनने का क्षेत्राधिकार श्री न्यायालय को ही हैं,सिविल न्यायालय को नहीं हैं। उक्त भूमि को 90 A अधीन कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन हेतु आबादी भूमि नगर परिषद बालोतरा में निहित होना बताया हैं। उक्त भूमि का यानी अपने हक व हिस्से का भूमि का सर्मपण अप्रार्थी (वादी) ने नहीं किया हैं। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होना साबित होता हैं। इस कारण प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए, न की उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आधार पर,इस कारण हस्तगत प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि उक्त भूमि पुश्तैनी है,सभी खातेदारों की सहमति के बिना कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं की जा सकती हैं। अप्रार्थी (वादी) का दावा अपने हक व हिस्से 1/4 पैतृक भूमि के रूप में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का पेश किया गया हैं। ऐसे विवादित बिन्दु का निर्धारण दावे के मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए। वादी के हक–हिस्से तक भूमि का बेचान शून्य एवं निष्प्रभावी हैं,जिसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्री न्यायालय को ही प्राप्त हैं। उक्त दावा धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार अपवर्जित नहीं करता हैं। वादी का वाद अपने हक हिस्से तक पंजीकृत विलेख को निरस्त करने की इस्तदुआ हैं। राजस्व न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को पैतृक भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा का दावा निर्धारण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को हैं,न की सिविल न्यायालय को,अप्रार्थी (वादी)के दावे की प्लीडिंग्स के आधार पर उक्त दावा खातेदारी घोषणा का राजस्व न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा तथा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी घोषणा का दावा सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को हैं,न कि सिविल न्यायालय को। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। विवादित भूमि पैतृक होने के कारण विवादित बिन्दु प्रार्थना पत्र के जरिए निर्धारित नहीं किया जा सकता हैं। अगर प्रार्थी/प्रतिवादी उक्त कानूनी बिन्दु के संबंध में यानि न्यायिक बिन्दुओ को उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्धारित नही करके प्रतिवादी उक्त बिन्दुओ को वादी के दावें में प्रतिवादी द्वारा पेश जवाबदावे में उजर एतराज कानूनन ले सकता है,जो उक्त कानूनी बिन्दु RRD 2010 पेज 288 में निर्णय नजीर स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं। अगर प्रतिवादी अप्रार्थी (वादी) के दावे का कानूनन निर्धारित करना चाहता हैं तो तनकीयात कायम कर अपने जवाबदावे के आधार पर बिन्दु को निर्धारित करवा सकता हैं। क्योंकि उक्त दावे में प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश नहीं किया उसके बाद प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनन कोई औचित्य नहीं है, वादी व प्रतिवादी के दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी के दावे को मौरिट पर निर्णीत करना न्यायोचित हैं। इस कारण प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण मय खर्चो खारिज फरमाया जावें। अपनी बहस के समर्थन में निम्मानुसार न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये,जो शामिल मिसल हैः–

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.05.14 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested

1.2012(3)DNJ (राज.) पृष्ठ 1569

2.2017(2) RRT पृष्ठ 605

3.2017(1)RRT पृष्ठ 533

4.2010(2)RRT पृष्ठ 1141

5.2016(1) RRT पृष्ठ 674

6.RRT 2003(1)

5.हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व संलग्न राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं न्यायिक द्रष्टान्तो का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। हस्तगत प्रकरण में वकील प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 01 से 05) की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(डी) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश कर मुख्य उजर–एतराज किया कि वादग्रस्त भूमि में संबध में वाद संस्थित करने से पूर्व ही वादग्रस्त भूमि की किस्म कृषि से गैर कृषिक प्रयोजन के उपायोग हेतु भू उपयोग परिवर्तित कर आबादी भूमि नगर परिषद बालोतरा में इन्द्राज हो गई थी,इस कारण वादग्रस्त भूमि अकृषि प्रयोजन उपयोग में होने के कारण न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण वादी का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किया जावें।

इसके विपरीत वकील अप्रार्थी (वादी) की बहस में मुख्य उजर–एतराज था कि वादग्रस्त भूमि पैतृक हैं, जो वक्त सेटलमेंट चौथाजी के कब्जा–काश्त में थी और उनकी मृत्यु उपरान्त वादी व प्रतिवादी संख्या 06 से 08 के पिता उकाराम के कब्जा –काश्त रही। इस कारण वादग्रस्त भूमि पैतृक होने के कारण उकाराम के सभी वारिसान का बहिस्सा बराबर हक हिस्सा निहित होने से वादी के हक हिस्से भूमि का बेचान उकाराम को नहीं होने के कारण वादी अपना वादग्रस्त भूमि में माफिक इस्तदुआ वाद चलाने का हकदार हैं। खातेदारी घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय में ही चलने योग्य होने के कारण प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वादी के वाद–पत्र के पैरा संख्या 07 में अंकन है कि राज्य सरकार के खेत खसरा संख्या 332 रकबा 73.02 बीघा में से 10.17 बीघा व 06.10 बीघा भूमि उकाराम को नियमन/आवंटन की गई हैं। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता उकाराम को आंवटन हुई हैं और उकाराम ने उक्त भूमि को आगे बेचान प्रतिवादी संख्या 01 से 05 को किया। उक्त बेचाननामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में भी प्रतिवादी के पक्ष में अमल–दरामद हुआ। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या वादग्रस्त भूमि को पैतृक नहीं मान सकते हैं। पैतृक नहीं होने के कारण वादी के वाद का निस्तारण प्रारम्भिक स्टेज [illegible] जा सकता हैं। न्यायालय का अभिमत है कि जहां प्रकरण में सा[illegible] को गुणावगुण पर निस्तारण करना चाहिए तथा जो प्रकरण [illegible] नहीं हो,उक्त प्रकरण का निस्तारण हस्तगत प्रार्थना–पत्र के आधार पर विवेचन करते हुए [illegible] जाना विधि सम्मत प्रतीत होता हैं। प्राधिकृत अधिकारी,नगर–परिषद बालोतरा के आदेश क्रमांक 1158/11.09.2023 के द्वारा ग्राम खेड़ के अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त खसरान संख्या 538/332 व 332/04 वर्तमान खसरा संख्या 1174/332 भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.05.14 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

90–क के अधीन कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु भू उपयोग परिवर्तित कर आबादी भूमि नगरपरिषद बालोतरा में ली गई तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) के अनुसार वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निकाय नगर पालिका,बालोतरा के नाम इन्द्राज है। इस प्रकार यह भली भांति स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण संस्थित होने से पूर्व ही वादग्रस्त भूमि की किस्म कृषि रही ही नहीं थी। वकील वादी ने दौराने बहस तर्क उठाया था कि विवादित भूमि का नामान्करण दिनांक 10.10.2023 को स्वीकृत हुआ था और उन द्वारा दावा पूर्व में पेश किया गया था। उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि का प्राधिकृत अधिकारी,नगर परिषद बालोतरा द्वारा दिनांक 11.09.2023 को ही 90–क के तहत अकृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु भू–उपयोग परिवर्तित करने के आदेश पारित कर दिए गए थे और नामान्तकरण को निस्तारण करने में लगनें वाला समय प्रशासनिक प्रक्रिया का भाग है। इस कारण यह माना नहीं जा सकता है कि नामान्तकरण में देरी होने के कारण वादग्रस्त भूमि के संबध में विचाराधीन प्रकरण चलने योग्य है। वकील अप्रार्थी (वादी) की ओर से प्रस्तुत न्यायिक द्रष्टान्त 2012 (3)DNJ (राज.)पृष्ठ 1569,2017(2) RRT पृष्ठ 605, 2017(1)RRT पृष्ठ 533,2010(2)RRT पृष्ठ 1141 ,2016(1) RRT पृष्ठ 674 एंव RRT 2003(1) पृष्ठ 633 इस प्रकरण की प्रवृति पर चस्पा नहीं होतें है क्योंकि उक्त न्यायिक द्रष्टान्त कृषि भूमियों के संबध में पारित निर्णयों सें संबधित है,जबकि हस्तगत वादपत्र में वर्णित भूमि कृषि न होकर गैर कृषिक प्रयोजन आबादी भूमि दर्ज है।

वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) की ओर से प्रस्तुत न्यायिक द्रष्टांत 2013(2)आर.आर.टी.पृष्ठ 808 में प्रतिपादित है कि प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि में परिवर्तित हुई तथा धारा 5(24) के अन्तर्गत कृषि भूमि नहीं है–मामलें के विचारण की राजस्व न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। इसी प्रकार 2019(2)आर. आर.टी.पृष्ठ 863 में प्रतिपादित है कि आवासीय उपयोग की भूमियों बाबत प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को निहित नहीं है। साथ ही प्रावधित प्रावधानों के अनुसार विवादित आराजी जब आवासीय उपयोग में आ रही है तथा विवादित आराजी पर काश्त किये जाने की कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी भूमियो बाबत प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को निहित होगा। उक्त विवेचन पर निर्णयन हेतु हम यहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(24),जिसमें भूमि की परिभाषा प्रदत है,का यहां उल्लेख करना आवश्यक समझते है, जिसके अनुसार " **भूमि** से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों या उसके अधीनस्थ प्रयोजनों के लिए या बाग भूमि के रूप में या चारागाह के लिए पटटे पर दी जाती है या धारित की जाती है और इसमें किसी जोत पर अवस्थित मकानों या बाड़ों के नीचे की भूमि या जल से ढकी हुई वह भूमि सम्मिलित है,जो सिंचाई करने या सिंधाड़ा या ऐसी ही अन्य [illegible] प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जा सकें,किंतु आबादी भूमि इसमें [illegible] से होने वाले फायदे तथा भू–बद्व वस्तुंए या किसी भी भू–बद्व से स्थायी रूप से आबद्ध [illegible] सम्मिलित है "

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.05.14 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested

आर.आर.डी. 1988 पृष्ठ 571 में यह सिद्वात प्रतिप्रादित किया गया है कि–Rajasthan Tenancy act.Section 5(24)Agricultural land which had been acquired for and

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

handed over by govt.to urban improvement trust had ceased to be land for purposes of section 5(24) and had become abadi land.notwithstanding fact that consequential entries in record of right had not been effected by revenue staff

माननीय न्यायालय के न्यायिक द्वष्टांत हस्तगत प्रकरण की प्रवृति पर पूरी तरह चस्पा होतें है, क्योकि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि की किस्म कृषि भूमि न होकर गैर कृषिक प्रयोजन आबादी भूमि है। प्रश्नगत भूमि पर न्यायालय हाजा को सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नहीं है,इस कारण हस्तगत प्रकरण विधि से वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है।

6.उपर्युक्त विवेचन के उपरांत अदालत इस निष्कर्ष पर पंहुची है कि वादी का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है।

7. लिहाजा प्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 01 से 5) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 26.2.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.14 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

अनवान

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
तगाराम पुत्र उकाराम कौम घांची निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.पृथ्वीराज पुत्र भरतकुमार कौम अग्रवाल निवासी सुखसागर कॉलोनी बालोतरा 2.पुष्पादेवी पत्नि भरतकुमार कौम अग्रवाल निवासी सुखसागर कॉलोनी बालोतरा 3.भरतकुमार पुत्र रामगोपाल,कौम अग्रवाल निवासी सुखसागर कॉलोनी बालोतरा 4.सुशीला पत्नि प्रकाशजी कौम अग्रवाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा 5.प्रकाश अर्जुन एच यू एफ के कर्ता प्रकाश पुत्र भरतकुमारजी कौम अग्रवाल निवासी सुखसागर कॉलोनी बालोतरा 6.जगदीश पुत्र उकाराम 7.मांगीलाल पुत्र उकाराम 8.घेवरचन्द पुत्र उकाराम कौम घांची निवासी जसोल तहसील पचपदरा 9.राजस्थान सरकार जरीयें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः—88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 172/2023

निर्णय दिनांक :— 26.02.2024

वादीगण की ओर से श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ओर से श्री प्रियतम आजाद अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 06 से 09 की अनुपस्थिति इस वाद में आज तारीख 26.02.2024 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**—प्रतिवादी संख्या 01 से 5 का प्रार्थना पत्र [illegible] 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर [illegible] के कारण खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 26·02·24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.05.14 19:01:53 IST
Reason: SelfAttested